राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)/नि.प./के–2008/2013/अलेसे –III/ 1989 दिनांक :– 5-7-18

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 84/2017–18 दि0 30.06.2017 के द्वारा श्री कृष्ण लोकपाल सिंह सिसोदिया का पदस्थापन कनिष्ठ लेखाकार (प्रोबेशनर ट्रेनी) के पद पर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता भू–जल विभाग डूंगरपुर मे किया गया था, जिसकी पालना में श्री सिसोदिया ने दि0 05.07.2017 को कार्यग्रहण किया। उक्त कार्यालय मे कनिष्ठ लेखाकार का पद नही होने के कारण अधिशाषी अभियन्ता भू–जल विभाग डूंगरपूर ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 29.08.2017 के द्वारा श्री सिसोदिया को अपनी उपस्थिति निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर में देने के लिए निर्देशित किया जिसके अनुसरण में श्री सिसोदिया ने दिनांक 01.09.2017 (दिनांक 30.08.2017 को कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता भू–जल विभाग डूंगरपुर में उपस्थित तथा दिनांक 31.08.2017 का राजकीय अवकाश) को दोपहर पूर्व अपनी उपस्थिति निदेशालय में दी। विभागीय आदेश संख्या 151/2017–18 दिनांक 08.09.2017 के द्वारा श्री सिसोदिया का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डूगंरपुर में किया गया जिसके अनुसरण में श्री सिसोदिया ने दिनांक 11.09.2017 (दिनांक 09.09.2017 एवं 10.09.2017 का राजकीय अवकाश) को नव पद स्थापन कार्यालय में उपस्थिति दी।

अतः श्री सिसोदिया का दि0 5.07.2017 से 31.08.2017 (58दिवस) तक की कार्यरत अवधि तथा दिनांक 01.09.2017 से 08.09.2017 (8दिन) तक आदेशों की प्रतीक्षा में रहे अवधि का वेतन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डूगंरपुर से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8) (बी) (III) के अन्तर्गत नियमित किया जाता हैं।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)/नि.प./के–2008/2013/अलेसे –III/ दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्रांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. अधिशाषी अभियंता भू–जल विभाग डूंगरपुर ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डूंगरपुर।
3. कोषाधिकारी डूंगरपुर।
4. श्री कृष्ण लोकपाल सिंह सिसोदिया कनिष्ठ लेखाकार(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी),कार्यालयमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर।
5. अति0 निजि सचिव, निदेशक महोदया।
6. उप निदेशक (ACP) विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
7. रक्षित एवं निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–III)

D:\Data\D drive\S.A.S-III\S.A.S - 03\2016\Devendra ji\Letters.docx)